PRESS NOTE MEERUT RANGE

प्रैस विज्ञप्ति दिनांकः 02.05.2019 जनपद बुलन्दशहर

स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त हत्या की घटना मे फरार/वांछित 25,000 रुपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी मंसूर गाजी मय अवैध अस्लाह, कारतूस व एक स्कूटी सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 01.05.2019 की रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री ध्रुव भूषण दुबे मय पुलिस टीम के देख–रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की अंसारी चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आदिल हत्याकाण्ड का अभियुक्त स्कूटी से नीमखेडा की तरफ से बुलन्दशहर की ओर आना वाला है जिसके पास अवैध अस्लाह भी है तथा जिस पर 25000 रूपये का पुरूस्कार घोषित है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय टीम के मामन चुंगी पर आए तो स्वाट टीम के कर्मचारी है0का0 असलम खान, है0का0 संजय यादव, का0 वसीम, का0 आकाश नेहरा व का0चालक मणिकान्त त्यागी मिले। दोनो पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नीमखेडा की तरफ से आने वाले अभियुक्त का इंतजार करने लगे कि कुछ देर बाद नीमखेडा की तरफ से एक दोपहिया वाहन की लाइट आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा दोपहिया वाहन सवार को रूकने का इशारा किया तो उस पर सवार अभियुक्तो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर एक अभियुक्त को अवैध अस्लाह, कारतूस व स्कूटी सहित समय रात्रि करीब 11.05 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्त के अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1– मंसूर गाजी पुत्र हनीफ निवासी मौ0 मिर्ची टोला थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण–

1– 01 तमंचा 12 बोर मय 03 जिन्दा व एक खोखा कारतूस

2– 01 स्कूटी नम्बर यूपी–13एएन–4748

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.04.19 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत काली नदी के पास से एक अज्ञात पुरूष (उम्र–28 वर्ष) का शव बरामद हुआ था जिसकी अज्ञात अभियुक्तो द्वारा गोली मारकर हत्या की गयी थी जिसकी शिनाख्त आदिल पुत्र मौ0 असलम निवासी मौ0 इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के रूप मे हुई थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0–292/19 धारा 302,201,120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इस हत्याकाण्ड मे अभियुक्त मंसूर गाजी व उसकी पत्नी अलीसा सहित दो अन्य अभियुक्त शहजाद उर्फ सूखा निवासी मौ0 नरसलघाट थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर एवं शाहरूख पुत्र फरीद निवासी मौ0 इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के नाम प्रकाश मे आये थे। हत्याकाण्ड मे संलिप्त अभियुक्त शाहरूख व अलीसा को दिनांक 08.04.19 को गिरफ्तार जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त मंसूर गाजी लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त मंसूर गाजी व शाहरूख उर्फ सूखा द्वारा दिनांक 29. 04.19 को मौ0 साठा निवासी एक युवती के घर में घुसकर वादिया व वादिया की मां के साथ मारपीट कर छेडछाड व जान से मारने की धमकी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0–353/19 धारा 452,323,504,354 भादवि पंजीकृत है, अभियुक्त मंसूर

गाजी इस अभियोग में भी वांछित चल रहा था। उक्त दोनो घटनाओ मे अभियुक्त शहजाद उर्फ सूखा संलिप्त रहा है जिसकी भी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे है।

अभियुक्त मंसूर गाजी की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं–355/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0–356/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. श्री ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
2. व0उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह, उ0नि0 संहसरपाल सिंह, उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 असलम, का0 संदीप राठी, का0 अशोक कुमार, का0 विशाल, का0चालक मुकेश कुमार।

<u>स्वाट टीम (क्राईम ब्रांच)–</u>

1– है0का0 असलम, है0का0 संजय यादव, का0 वसीम, का0 आकाश नेहरा, का0चालक मणिकान्त त्यागी।

<u>जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.05.19</u>

<u>थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट मे 02 वाछित अभि0 गिरफ्तार:-</u> ट्रोनिका सिटी टीम द्वारा थाना हाजा के मु0अ0स0 234/19 व 240/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट मे वाछित चल रहे 02 नफर अभियुक्तो को दिनाक 02/05/2019 को गिरफ्तार किया गया है |

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-</u>

1. अश्वनी पुत्र राजा नि0 निशान्त कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
   मु0अ0स0 234/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
2. नवीन पुत्र रवी शर्मा नि0राणा चौक रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
   मु0अ0स0 240/19 धारा 2/3गैगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी

<u>08 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 91 हजार रूपये नकद व 52 ताश के पत्ते बरामद :-</u> थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 01.05.19 को समय 23.00 बजे साईं उपवन पार्क से अभियुक्तगण 1. हसरत पुत्र सैफी निवासी इस्लाम नगर थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 2. नरेंद्र शरमा पुत्र श्यामलाल न इवासी न्यू कोट गांव थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 3. विनोद पुत्र भगवान दास निवासी नुसरतपुर थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 4. पवन शर्मा पुत्र राजेन्द्र न इवासी BM कंपाउंड घंटाघर थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 5. इरशाद पुत्र नौशाद निवासी सरायनगर अली थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 6. दलजीत पुत्र हरवंश सिंह निवासी कृष्णा एन्क्लेव थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 7. जसबीर सिंह पुत्र जगजीत निवासी नहेरुनगर-III थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद 8. BN शर्मा पुत्र चन्द्रशेखर शर्मा निवासी लोहियानगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 91 हजार रूपये नकद व 52 पत्ते ताश के बरामद हुए है|

<u>240 पव्वा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 01.05.19 को समय 18.50 बजे गौर मॉल RDC से अभियुक्तगण 1. मानू पुत्र शेर सिंह निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 2. घनश्याम पुत्र बन्शी लाल निवासी RDC झुग्गी-झोपड़ी थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 240 पव्वे अवैध शराब अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई है |

<u>05 लीटर अपमिश्रित शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना मसुरियो पुलिस द्वारा दिनांक 02.05.19 को समय 04.45 बजे ग्राम इंद्रगढ़ी थाना मसूरी से अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र किशोरी निवासी ग्राम इंद्र गढ़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 05 लीटर अपमिश्रित शराब व 01 केन बरामद हुई है |

PRESS NOTE

दिनांक 02.05.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

➢ **थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार, लूट का मोबाईल फोन, नकदी ,चेारी की मोटर साईकिल व एक तमंचा मय एक कारतूस नाजायज बरामद–**

➢ **सराहनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत महोदय के निर्देशन मे अपराधियो की धरपकड हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 02.05.19 को थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान नागेश्वर मंदिर ग्राम बिजरौल रजवाहे की पटरी से शातिर लुटेरा **वरूण पुत्र हर्षबर्धन निवासी कस्वा व थाना बुढाना जपद मुजफफरनगर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा एक मोटर साईकिल नं0 डीएल–3एसएस–बी–6656, एक मोबाईल फोन सैमंसग व 350 रूपये बरामद हुऐ है**। पूछताछ पर अभियुक्त वरूण ने अपने अन्य साथी लुटेरे के साथ मिलकर दिनांक 30.04.2019 को थाना बडौत क्षेत्रान्र्तगत वसन्त विहार कालोनी बिनौली रोड कस्वा व थाना बडौत से ऋषभ जैन पुत्र दीपक जैन निवासी मौहल्ला आर्यनगर कस्वा व थाना बडौत जनपद बागपत से एक मोबाईल फोन सैमसंग व 350 रूपये लूट की घटना करना स्वीकार किया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 313/2019 धारा 392.411 भादवि बनाम वरूण आदि पंजीकृत है। **उल्लेखनीय है वादी मुकदमा दीपक जैन के पुत्र से दो अपराधियों द्वारा उक्त घटना में 350रूपये ही लूटे गये थे जबकि वादी ने एफआईआर में 1,10,000/–रूपये पुलिस पर मोबाईल की बरामदगी का दबाव बनाने के लिए अंकित करा दिये थे, इस बावत वादी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया है।** गिरफ्तार अभियुक्त वरूण से बरामद मोबाईल फोन व 350 रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है तथा बरामद मोटर साईकिल दिल्ली से चोरी करना बताया है।

➢ **अनावरण हुई लूट की घटना का विवरण–**

अभियुक्त वरूण पुत्र हर्षबर्धन निवासी कस्वा व थाना बुढाना जपद मुजफफरनगर द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 30.04.2019 को थाना बडौत क्षेत्रान्र्तगत वसन्त विहार कालोनी बिनौली रोड कस्वा व थाना बडौत से ऋषभ जैन पुत्र दीपक जैन निवासी मौहल्ला आर्यनगर कस्वा व थाना बडौत जनपद बागपत से एक मोबाईल फोन सैमसंग व 1,10,000– रूपये लूटने की घटना करना स्वीकार किया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 313/2019 धारा 392.411 भादवि पंजीकृत है।

➢ **अभियुक्तों का नाम व पता :–**

वरूण पुत्र हर्षबर्धन निवासी कस्वा व थाना बुढाना जनपद मुजफफरनगर।

➢ **<u>बरामदगी :–</u>**

01 तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस।

एक मो0सा0 बुलेट नं0 डीएल–3एसएस–बी–6656

एक मोबाईल फोन सैमसंग,(मु0अ0सं0 313/19 धारा 392.411 भादवि थाना बडौत,बागपत।)

350 रूपये,(सम्बन्धित मु0अ0सं0 313/19 धारा 392.411 भादवि थाना बडौत जिला बागपत।)

➢ **<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त वरूण</u>**

1–मु0अ0सं0 495/14 धारा 323,504,506,427 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
2–मु0अ0सं0 772/14 धारा 379,411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
3–मु0अ0सं0 552/17 धारा 379,411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
4–मु0अ0सं0 555/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
5–मु0अ0सं0 994/17 धारा 307,504,506,34 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
6–मु0अ0सं0 470/18 धारा 364 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
7–मु0अ0सं0 473/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
8–मु0अ0सं0 853/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत।

➢ **थाना छपरौली पुलिस द्वारा 150 ग्राम नशीले मादक पदार्थ (चरस) सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

- **थाना छपरौली :–** पुलिस द्वारा ग्राम रठौडा से अभियुक्त सुनील उर्फ काल पुत्र नैनसिंह नि0 ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **150 ग्राम नशीला मादक पदार्थ (चरस)** नाजायज बरामद कर अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 02.05.2019 जनपद मेरठ

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना देहली गेट पुलिस द्वारा पटरी नाला पुलिया से अभियुक्त जाकिर कुरैशी पुत्र शाकिर कुरैशी नि0 मेनका सिनेमा वाली गली थाना देहलीगेट मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना देहली गेट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी

थाना फलावदा पुलिस द्वारा यात्री स्टैण्ड नगंला हरेरू से अभियुक्त रिजवान पुत्र ननुआ नि0 ग्राम नंगला हरेरू थाना फलावदा मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना फलावदा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

चोरी के माल सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना परतापुर पुलिस द्वारा बंसल चौक रिठानी से अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र रामप्रसाद शर्मा नि0 ग्राम मोटा थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद, 2. गोविन्द पुत्र जलमा नि0 कुटौला, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एक अदद स्कूटी नं0 डी.एल. 11 एस.डी. 8586 बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना परतापुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवैध चाकू सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पल्लवपुरम पुलिस द्वारा ग्राम रोशनपुर डौरली नाले के पास से अभियुक्त दीपक पुत्र यशपाल नि0 ग्राम सप्पू कर्मचन्द थाना हस्तिनापुर मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पल्लवपुरम पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।